

## कार्यालय प्रथम अपीलीय अधिकारी, जिला कलक्टर, दौसा

श्री केदार मीना, निवासी सुनगाड़्यान की ढाणी, लोटवाडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा  
राज0

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार बैजूपाडा

अपील संख्या 02/2026



निर्णय

दिनांक 05.02.2026

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार बैजूपाडा से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थी को वांछित सूचना/नकल निर्धारित समयावधि में प्राप्त नहीं हुई। इससे व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार बैजूपाडा को प्राप्त पत्रों की छाया प्रति प्रेषित कर अपीलांट को वांछित नकल/सूचना उपलब्ध करवाई जाकर जांच टिप्पणी मंगवाई गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार बैजूपाडा को पत्र क्रमांक: डीएम/कोर्ट/2026/32 दिनांक 07.01.2026 के द्वारा अपीलांट को वांछित सूचना अविलंब उपलब्ध कराने हेतु निर्देश प्रदान किये गये। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार बैजूपाडा ने पत्र क्रमांक: आरटीआई/2026/06 दिनांक 28.01.2026 के द्वारा अवगत कराया है कि परिवादी द्वारा दिनांक 5.12.2025 को कार्यालय में आरटीआई आवेदन प्रस्तुत कर सूचना चाही गई थी परन्तु आवेदन पत्र के साथ किसी प्रकार का निर्धारित शुल्क का पोस्टल आर्डर संलग्न नहीं किया। कार्यालय पत्र दिनांक 29.12.2025 के माध्यम से परिवादी को निर्धारित शुल्क का पोस्टल आर्डर आरटीआई प्रार्थना पत्र में संलग्न करने हेतु पत्र लिखा गया परन्तु परिवादी द्वारा आरटीआई आवेदन में किसी प्रकार का शुल्क संलग्न नहीं किया गया। उक्त पत्रादि की प्रति पत्रावली में संलग्न है। इससे स्पष्ट होता है कि अपीलांट को सूचना की वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया गया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। संबंधित को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भंडार हो।



(देवेन्द्र कुमार)  
जिला कलक्टर दौसा